

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 142]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 31 मार्च 2016—चैत्र 11, शक 1938

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2016

क्र. एफ-ए-3-60-05-1-पांच-(17).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट इस विभाग की अधिसूचनाओं में, उक्त सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट रीति तथा सीमा तक संशोधन करती है :—

सारणी

अ.क्र. (1)	अधिसूचना क्रमांक (2)	संशोधन (3)
1	एफ-ए-3-88-06-1-पांच(06) दिनांक 21-3-2007	अंक "31-03-2016" के स्थान पर, अंक "31-03-2017" स्थापित किए जाएं.
2	एफ-ए-3-60-05-1-पांच(09) दिनांक 1-4-2007	अंक "31-3-2016" के स्थान पर, अंक "31-03-2017" स्थापित किए जाएं.
3	एफ-ए-5-4-2007-1-पांच(25) दिनांक 27-6-2007	अंक "31-3-2016" के स्थान पर, अंक "31-03-2017" स्थापित किए जाएं.
4	एफ-ए-3-42-07-1-पांच(29) दिनांक 22-9-2007	अंक "31-3-2016" के स्थान पर, अंक "31-03-2017" स्थापित किए जाएं.

(1)	(2)	(3)
5	एफ-ए-3-2-2010-1-पांच(47) दिनांक 1-4-2010	अंक "31-3-2016" के स्थान पर, अंक "31-03-2017" स्थापित किए जाएं.
6	एफ-ए-3-23-2010-1-पांच(92) दिनांक 19-11-2010	अंक "31-3-2016" के स्थान पर, अंक "31-03-2017" स्थापित किए जाएं.
7	एफ-ए-3-11-2011-1-पांच(16) दिनांक 31-3-2011	अंक "31-3-2016" के स्थान पर, अंक "31-03-2017" स्थापित किए जाएं.
8	एफ-ए-3-44-2014-1-पांच(35) दिनांक 13-8-2014	अंक "31-3-2016" के स्थान पर, अंक "31-03-2017" स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2016

क्र. एफ-ए-3-60-2005-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-60-2005-1-पांच-(17), दिनांक 31 मार्च 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 31st March 2016

No. F-A-3-60-05-1-V-(17).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kehstra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhinyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby, makes the amendments in this department's notifications specified in column (2) of the table below to the extent and in the manner specified in column (3) of the said table :—

TABLE

S.No. (1)	Notification No. (2)	Amendments (3)
1	F-A-3-88-06-1-V (06) dated 21-3-2007	For the figures "31-3-2016", the figures "31-03-2017" shall be substituted.
2	F-A-3-60-05-1-V (09) dated 1-4-2007	For the figures "31-3-2016", the figures "31-03-2017" shall be substituted.
3	F-A-5-4-2007-1-V (25) dated 27-6-2007	For the figures "31-3-2016", the figures "31-03-2017" shall be substituted.
4	F-A-3-42-07-1-V (29) dated 22-9-2007	For the figures "31-3-2016", the figures "31-03-2017" shall be substituted.

(1)	(2)	(3)
5	F-A-3-2-2010-1-V (47) dated 1-4-2010	For the figures "31-3-2016", the figures "31-03-2017" shall be substituted.
6	F-A-3-23-2010-1-V (92) dated 19-11-2010	For the figures "31-3-2016", the figures "31-03-2017" shall be substituted.
7	F-A-3-11-2011-1-V (16) dated 31-03-2011	For the figures "31-3-2016", the figures "31-03-2017" shall be substituted.
8	F-A-3-44-2014-1-V (35) dated 13-08-2014	For the figures "31-3-2016", the figures "31-03-2017" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MANOJ SHRIVASTAVA, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2016

क्र. एफ-ए-3-15-2016-1-पांच-(18).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के द्वितीय परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए अभ्यास पुस्तिका, ग्राफ पुस्तिका, ड्राइंग पुस्तिका तथा प्रयोगशाला पुस्तिका को अधिसूचित करती है.

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल 2016 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2016

क्र. एफ-ए-3-15-2016-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-15-2016-1-पांच(18), दिनांक 31 मार्च 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 31st March 2016

No. F-A-3-15-2016-1-V-(18).—In exercise of the powers conferred by second proviso to clause (a) of sub-section (1) of Section 14 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) the State Government, hereby, notifies Exercise books, graph books, drawing books and laboratory books for the purpose of said proviso.

2. This amendment shall come into force from 01st April 2016.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MANOJ SHRIVASTAVA, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2016

क्र. एफ-ए-3-16-2016-1-पांच-(19).—केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि किसी व्यापारी द्वारा, जिसका कारोबार स्थल मध्यप्रदेश राज्य में है, तेल रहित खली जिसमें सभी प्रकार के सोयामील कपास्या खली, सरसों खली तथा मक्का खली सम्मिलित है, के किसी ऐसे कारोबार स्थल से अन्तर्राज्यिक व्यापार अथवा वाणिज्य के अनुक्रम में उसके द्वारा किए गए विक्रयों पर उक्त अधिनियम के अधीन कोई कर देय नहीं होगा. यह छूट, उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन अधिकथित अपेक्षाओं की पूर्ति कर दिये जाने के अध्यधीन रहते हुए होगी.

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल 2016 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2016

क्र. एफ-ए-3-16-2016-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-16-2016-1-पांच(19), दिनांक 31 मार्च 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 31st March 2016

No. F-A-3-16-2016-1-V-(19).—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government, hereby, directs that no tax under the said Act shall be payable by any dealer having a place of business in the State of Madhya Pradesh in respect of the sales made ? by him in the course of inter-State trade or commerce of De-oiled cake including all kinds of soya meal, cotton seed oil cake, mustard oil cake and Makka khali from such place of business. The exemption shall be subject to the fulfilment of the requirements laid down under sub-section (4) of Section 8 of the said Act.

2. This amendment shall come into force from 01st April 2016.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MANOJ SHRIVASTAVA, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2016

क्र. एफ-ए-3-60-2005-1-पांच-(20).—केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-60-2005-1-पांच(09), दिनांक 26 मार्च 2013 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अंक और शब्द “31 मार्च, 2016”, के स्थान पर, अंक और शब्द “31 मार्च, 2017” स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2016

क्र. एफ-ए-3-60-2005-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-60-2005-1-पांच (20), दिनांक 31 मार्च 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 31st March 2016

No. F-A-3-60-2005-1-V(20).—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government, hereby, makes the following further amendment in this department's notification No. F-A-3-60-2005-1-V(09), dated 31st March, 2015, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, for the figures and word "31st March, 2016", the figures and word "31st March, 2017" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MANOJ SHRIVASTAVA, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2016

क्र. एफ-ए-3-11-2013-1-पांच (21).—मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 2011 (क्रमांक 11 सन् 2011) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.ए.-3-11-2013-1-पांच (11), दिनांक 31 मार्च 2015 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अंक और शब्द "31 मार्च, 2016", के स्थान पर, अंक और शब्द "31 मार्च, 2017" स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2016

क्र. एफ ए-3-11-2013-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ. ए.-3-11-2013-1-पांच (21), दिनांक 31 मार्च 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 31st March 2016

No. F-A-3-11-2013-1-V (21).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the Madhya Pradesh Vilasita, Manoranjan, Amod Evam Vigyapan Kar Adhiniyam, 2011 (No. 11 of 2011), the State Government,

hereby, makes the following amendment in this department's Notification No. F-A-3-11-2013-1-V (11), dated 30th March, 2015, namely:—

AMENDMENT

In the said notification, for the figure and word “31st March, 2016”, the figure and word “31st March, 2017” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MANOJ SHRIVASTAVA, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2016

क्र. एफ ए-3-17-2016-1-पांच (22).—मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 2011 (क्रमांक 11 सन् 2011) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर नियम, 2011 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 16 में, उपनियम (3) में, खण्ड (ख) में, शब्द “प्ररूप इकतीस में” के स्थान पर, शब्द “प्ररूप इकतीस में एक कार्य दिवस के भीतर” स्थापित किए जाएं.

2. यह संशोधन दिनांक 01 अप्रैल 2016 से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2016

क्र. एफ ए-3-17-2016-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ. ए.-3-17-2017-1-पांच (22), दिनांक 31 मार्च 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 31st March 2016

No. F-A-3-17-2016-1-V (22).—In exercise of the powers conferred by Section 13 of the Madhya Pradesh Vilasita, Manoranjan, Amod Evam Vigyapan Kar Adhiniyam, 2011 (No. 11 of 2011), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Vilasita, Manoranjan, Amod Evam Vigyapan Kar Niyam, 2011, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 16, in sub-rule (3), in clause (b), for the words “in form XXXI.”, the words “in Form XXXI, within one working day.” shall be substituted.

2. This amendment shall come into force from 01st April 2016.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MANOJ SHRIVASTAVA, Principal Secy.